न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 6/17

अपीलाण्ट

1. जबरसिंह पुत्र उदयसिंहजी
2. हरीसिंह पुत्र भंवरसिंहजी
3. नारायणसिंह पुत्र थानसिंहजी
4. नरपतसिंह पुत्र हमीरसिंहजी
5. रामसिंह पुत्र रूपसिंहजी
6. नारायणसिंह पुत्र मूलसिंहजी
7. चम्पालाल पुत्र अर्जूनसिहजी
8. नाथुसिंह पुत्र हमीरसिंहजी
9. बाबुसिंह पुत्र नरसिंगजी जातिगण राजपुरोहित निवासीगण वणदार तहसील रानी जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. पूनमसिंह उर्फ प्रेमसिंह पुत्र सादुलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी वणदार तहसील रानी जिला पाली (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, रानी जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स
2. श्री मदनदास वैष्णव, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या एक,
3. श्री इन्द्रसिंह दहिया, राजकीय पैरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांक : 25/5/2018

उपरोक्त अपील धारा 225 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी, रानी प्रभारी अधिकारी राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट वणदार द्वारा दिनांक 17.5.16 को राजस्व विविध प्रकरण संख्या 6/15 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट्स के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद धारा 188 टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया था, साथ ही 212 टिनेन्सी एक्ट का आवेदन भी पेश कर ग्राम वणदार के खसरा नंबर 216 से 218 में से 218 की भूमि के बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा चाही थी और बताया था कि खसरा नंबर 216 व 217 में रोहिणी माताजी का मंदिर व ओरण है, जिसके चारों तरफ तारबंदी की हुई है एवं खसरा नंबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

218 की भूमि रेस्पोडेण्ट सहित अन्य व्यक्तियों की खातेदारी भूमि है, जिसमें अपीलाण्ट्स का कोई हक–अधिकार नही है, न ही खातेदार है, फिर भी अवैध रूप से अतिक्रमण करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया एवं मौके पर कृषि भूमि में दीवार व बाउण्डरी बनाई है इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने बाबत निवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स द्वारा जवाब पेश कर बताया कि खसरा नंबर 216 से 218 की भूमि अधिकांश राजपुरोहित समाज की कुलदेवी रोहिणी माताजी के मंदिर व ओरण की भूमि है, जिसमें भव्य मंदिर, बगीचा, सार्वजनिक भवन, पानी का टांका, ट्युबवैल, हवनकुंड, पक्षियों के दाने हेतु चबुतरा, पशुओं के पानी पीने के अवाले, इत्यादि पूराने बने हुए है तथा बड़े–बड़े पूराने छायादार पेड़ लगे हुए है। करीब 6–7 साल पूर्व ग्रामवासियों ने मिलकर मंदिर का पुनः नवनिर्माण करवाया है, बाउण्डरी वॉल का भी निर्माण करवाया है, जिसमें रेस्पोडेण्ट व उसके भाई ने भी दिनांक 3.3.09 को आर्थिक सहयोग दिया था। उपरोक्त भूमि का कभी भी कृषि उपयोग नहीं रहा है, किसी भी सहखातेदार का कब्जा–काश्त नहीं रहा है, संपूर्ण भूमि सार्वजनिक उपयोग की रोहिणी माताजी के मंदिर के ओरण की हमेशा से ही रही है। पूर्व में राजस्व रेकर्ड तैयार करते समय गांव के मुख्यिान के नाम पर उपरोक्त मंदिर व ओरण की जमीन दर्ज कर दी थी बाद में मुख्यिान की मृत्यु होने पर उनके वारिसान के नाम दर्ज हो गए। अधीनस्थ न्यायालय में अधिकांश सहखातेदार और उनके वारिसान ने इस आशय के शपथ–पत्र दिए थे कि उपरोक्त भूमि पर किसी भी सहखातेदार का कब्जा–काश्त नहीं है तथा 60 वर्षों से अधिक समय से ओरण के रूप में खुली विद्यमान है, जिसका उपयोग समस्त ग्रामवासियों के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रोहिणी माताजी मंदिर के ओरण के रूप में किया जा रहा है। उपरोक्त पत्रावली को बिना किसी अपीलाण्ट को नोटिस दिए ही कैम्प कोर्ट में नियत कर दी और पटवारी के माध्यम से कुछ अपीलाण्ट को बुलाकर आदेशिका में इस बात के हस्ताक्षर करवाए कि आज पत्रावली लोक अदालत में रखी गई है, लेकिन समझाईश नहीं होने से पत्रावली पुनः कोर्ट में नियत की जाएगी इसी विश्वास से हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट से मिलावट कर उक्त आदेशिका में ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि उस दिन कैम्प वणदार में न तो ऐसा आदेश लिखा गया था, न ही सुनाया गया था पत्रावली तो पूर्व में 2.6.16 को नियत थी, जो पहले की दिनांक 17.5.16 में ही उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 1.4.16, 29.4.16 का अवलोकन फरमावें, जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है। दिनांक 1.4.16 को बहस सुना जाना लिखा गया है, लेकिन उक्त आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, निर्णय हेतु दिनांक 29.4.16 को नियत करना बताया, दिनांक 29.4.16 की आदेशिका पर भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, अन्य कई आदेशिकाओं पर भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की पूर्व में जानकारी अपीलाण्ट को होना संभव नहीं था। सभी अपीलाण्ट को दिनांक 17.5.16 को उपस्थित होने हेतु न तो नोटिस दिया गया था, न ही बुलाया गया था, 9 में से 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट की ही उपस्थिति दर्ज की गई है, शेष अपीलाण्ट्स को उपरोक्त पेशी की सूचना बाबत कोई नोटिस नहीं है। सर्वप्रथम जानकारी अपील पेश करने के 3 दिन पूर्व अप्रार्थी ने मौके पर आकर प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि में आने–जाने से मना किया और बताया कि उसके पक्ष में स्थगन आदेश पारित हो रखा है, साथ ही अपीलाण्ट्स के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही भी पेश की थी, जिसके भी नोटिस अपीलाण्ट्स को प्राप्त हुए थे तब अधिवक्ता के माध्यम से पता किया तो पता चला कि जिन खाली आदेशिका पर कुछ अपीलाण्ट्स के हस्ताक्षर लोक अदालत में प्रकरण निर्णित नही होने से न्यायालय ने तारीख नियत करने का बोलकर करवाए थे, उसी पर बाद में अपीलाधीन आदेश लिख दिया है। उपरोक्त पत्रावली सहित अन्य कई पत्रावलियां लंबे समय तक बस्तों में बांधकर रख दी गई थी, बाद में चाराजोही करने पर दिनांक 11.1.17 को नकल आवेदन पेश किया तब दिनांक 12.1.17 को नकल प्राप्त होने पर अपील पेश की है। सर्वप्रथम जानकारी से अपील अंदर मयाद पेश है। इस संबंध में अधिवक्ता द्वारा न्याय दृष्टांत 2005(1) आर.आर.टी. पेज 646, 2008 आर.आर.टी. पेज 1183, 1406, 2006 आर. एल.डब्ल्यू. पेज 2866, 2012 आर.आर.टी. पेज 711, 727, 2013 आर.आर.टी. पेज 444, 1998 आर.आर.डी. पेज 319, 2002 आर.आरटी. पेज 648 पेश कर निवेदन किया कि मयाद का प्रार्थना–पत्र अपील के अंतिम निर्णय के साथ ही तय किया जाना चाहिए और प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो तो मयाद के बिन्दू को गौण करते हुए मैरिट पर ही प्रकरण को निर्णित किया जाना चाहिए इस तरह से धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करने का निवेदन किया। मैरिट पर भी निवेदन किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु मुख्यतया 3 बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को साबित किया जाना आज्ञापक है। अपीलाधीन आदेश में तीनों ही बिन्दुओं का पूर्णतया अभाव है। चार लाईन में ही संपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया है। उक्त आदेश में यह अंकित किया गया है कि पूर्व में न्यायालय में बहस सुनी जा चुकी है, लेकिन किस पक्ष द्वारा क्या बहस की गई?, क्या नजीरें पेश की गई?, इस बाबत कोई उल्लेख नहीं है और सीधे ही बिना किसी ठोस आधार के ही अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो निर्णय पूर्णरूपेण अवैध है, क्योंकि उपरोक्त भूमि में करीब 100 के लगभग वर्तमान में सहखातेदार है, किसी भी खातेदार का कब्जा नहीं है, आज दिन तक उपरोक्त भूमि में कभी भी काश्त नहीं हुई है, ऐसा होता तो रेस्पोडेण्ट अवश्य खसरा गिरदावरी पेश करते इस तरह से उक्त भूमि केवल मात्र रोहिणी माताजी के ओरण के रूप में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आ रही है। रेस्पोडेण्ट का किसी भी रूप से कब्जा–काश्त नहीं होने से निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिनुसार अधिकारी नहीं है। अधिवक्ता ने अपने तर्कों के संबंध में न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने बहस का प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा अपील पेश करने पर एकपक्षीय स्थगन आदेश अपीलाण्ट्स के पक्ष में पारित किया था, जिसके विरुद्ध रेस्पोडेण्ट ने माननीय राजस्व मण्ड़ल, अजमेर में निगरानी पेश की थी, जो निगरानी स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया था कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सर्वप्रथम मयाद के बिन्दू को निर्णित करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जावें इसलिए सर्वप्रथम मयाद के बिन्दू तय किया जावें। इसके बाद ही अपील में बहस सुनी जावें। इस संबंध में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्ड़ल, अजमेर की उपरोक्त फाईन्डिंग स्थगन आदेश के संबंध में थी, क्योंकि मयाद बाहर अपील में स्थगन आदेश पारित करने से पूर्व आदेश 41 नियम 3ए अनुसार मयाद का बिन्दू तय किया जाना आवश्यक है चूंकि अनेकानेक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि मयाद का बिन्दू अपील की मैरिट के साथ ही तय किया जाना चाहिए इसलिए मैरिट पर भी अपीलाण्ट द्वारा बहस की गई है। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने यह भी निवेदन किया कि वह वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार है और प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर विधिनुसार कब्जा माना जाता है। अपीलाण्ट उपरोक्त भूमि के सहखातेदारी नहीं है, फिर भी बार–बार रेस्पोडेण्ट के कब्जे–काश्त में दखल करते है, भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर रहे हैं, खसरा नंबर 216, 217 की भूमि रोहिणी माताजी के मंदिर व ओरण की होना और उसी अनुरूप उपयोग में होना सही है, लेकिन खसरा नंबर 218 की भूमि पर काश्त हो रही है और निजी खातेदारी भूमि है, मंदिर की भूमि नहीं है इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा विधिनुसार जारी की है। अपीलार्थी की अपील पूर्णरूपेण मयाद बाहर है, जान–बूझकर लंबे समय बाद अपील पेश की है, जबकि अपीलाधीन आदेश पर 5 अपीलार्थी के हस्ताक्षर उपस्थिति बाबत दर्ज है इसलिए मयाद पर तो अपील खारिज होने योग्य है ही, साथ ही मैरिट पर भी अपील खारिज योग्य है, क्योंकि अपीलार्थी अतिक्रमी की हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर रेस्पोडेण्ट कारे काश्त करने नहीं दे रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं, स्वयं को रोहिणी माताजी मंदिर के ट्रस्टी बताते है, लेकिन तो मंदिर का ट्रस्ट पेश किया है, न ही ट्रस्टी होने बाबत सबूत पेश किया है इसलिए अपीलार्थी को उपरोक्त भूमि बाबत कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपील में तर्कों के संबंध में आई.आर. 1998 एस.सी. पेज 2276, ए. आई.आर. 2005 एस.सी. 3460, 2001 आर.आर.डी. पेज 35, 1989 आर.आर.डी. पेज 284, 1984 आर. आर.डी. पेज 261, 1999 आर.आर.डी. पेज 389 न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपील मय खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया। यह भी बताया कि रेस्पोडेण्ट सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया केस साबित है। उपरोक्त अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट को कोई तकलीफ नहीं हो रही है इसलिए अपील खारिज फरमावें।

बहस पर मनन किया, न्यायिक दृष्टांतों का एवं अधीनस्थ न्यायालय की संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम मयाद का बिन्दू तय किया जाना न्यायोचित्त है। अपीलार्थी ने आवेदन में यह निवेदन किया है कि कैम्प कोर्ट में पेशी नियत होने बाबत कोई नोटिस नहीं दिए गए थे, कैम्प के दिन पटवारीजी द्वारा अपीलाण्ट को बुलाया गया, जिसमें से 5 अपीलाण्ट हाजिर थे, वे कैम्प में उपस्थित हुए थे तब राजीनामा होने बाबत पूछा तब बताया कि लोक अदालत है, लेकिन रेस्पोडेण्ट उपस्थित नहीं होने से राजीनामा की बात नहीं हो सकी थी और उपस्थित अपीलाण्ट के इस बात के हस्ताक्षर करवाए थे कि राजीनामा नहीं होने से प्रकरण की पेशी न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में नियत की जाएगी इस प्रकार से पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपील पेश होने के 3 दिन पूर्व ही रेस्पोडेण्ट ने उपरोक्त भूमि में प्रवेश करने से अपीलाण्ट को मना किया व अपने पक्ष में स्थगन आदेश होना बताया तथा अवमानना की कार्यवाही के नोटिस भी आए तब पता किया तो पत्रावली बस्तों में बंधी हुई थी, जिस पर नकल हेतुआवेदन किया और नकल मिलते ही अपील पेश की गई है। चूंकि उपरोक्त तथ्यों का रेस्पोडेण्ट द्वारा लिखित में जवाब पेश कर खण्डन अवश्य किया है। चूंकि ग्राम वणदार की कृषि भूमि खसरा 216 से 218 की रेस्पोडेण्ट सहित कई व्यक्तियों के सहखातेदारी की स्थित है, जिसमें करीब 60–70 से अधिक सहखातदेार है, किसी का कोई हिस्सा निर्धारित नहीं है और तरमीम नहीं है, अविभाजित भूमि है। उपरोक्त भूमि में ही रोहिणी माताजी का मंदिर बना हुआ होना और ओरण की भूमि होना दोनों पक्ष स्वीकार करते है, लेकिन रेस्पोडेण्ट खसरा नंबर 216, 217 में ही मंदिर व ओरण होना बताता है, खसरा नंबर 218 की भूमि में सभी सहखातेदारान का काश्त होना बताता है, लेकिन उपरोक्त भूमि पर कभी भी काश्त हुई हो, इस बाबत कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय और इस न्यायालय में पेश नही हुई है। काश्त का महत्वपूर्ण सबूत खसरा गिरदावरी है, जो पेश नहीं हुई है। अपीलाण्ट्स का आक्षेप है कि उपरोक्त भूमि रोहिणी माताजी की ओरण की भूमि है, जिस पर बहुत पूराने छायादार पेड़ लगे हुए और मंदिर के ही उपयोग–उपभोग की भूमि रही है इस संबंध में रेस्पोडेण्ट ने कुछ भी दस्तावेज पेश नहीं किए है। चूंकि रेस्पोडेण्ट का करीब 1/96वां हिस्सा बनता है और उसका काश्त किस प्रकार से कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है, इसके विपरित अपीलाण्ट्स की ओर से उपरोक्त भूमि के कई सहखातदेारान और उनके वारिसान के शपथ–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुए हैं, जिसमें उपरोक्त भूमि 60 वर्षों से रोहिणी माताजी के ओरण के उपयोग में होना तथा उस पर किसी भी खातेदार का कब्जा–काश्त नहीं होना अंकित किया है। रेस्पोडेण्ट के पक्ष में किसी भी सहखातेदार द्वारा शपथ–पत्र पेश नहीं किया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण मैरिट पर अपीलाण्ट के पक्ष में ठोस है। इसलिए प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के मद्देनजर अपील को अंदर मयाद मानकर मैरिट पर निर्णित किया जाना न्यायोचित्त है। मैरिट पर अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश सरसरी तौर पर बिना किसी ठोस आधार के ही पारित किया है, जिसमें न तो तथ्य लिखे है, न ही दोनों पक्षों द्वारा अपने पक्ष में दिए गए तर्कों का समावेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अधिकांश आदेशिकाओं में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर तक नहीं है, जिस दिन पत्रावली में बहस सुना जाना आदेशिका में अंकित किया है उस आदेशिका पर भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होना गंभीर मामला है। अस्थायी निषेधाज्ञा के मामले में सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दुओं पर अलग–अलग फाईन्डिंग दिया जाना आवश्यक है और तीनों ही बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित पाए जाने की स्थिति में ही अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है इनमें से एक भी बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है तो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश में इस बाबत कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

फाईन्डिंग नहीं दी गई है इसलिए ऐसे आदेश को हमारी राय में किसी भी रूप से बहाल नहीं रखा जा सकता है, साथ ही मौके की स्थिति भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है कि भूमि पर कभी काश्त हुई है अथवा नहीं हुई है, भूमि का उपयोग–उपभोग मंदिर के ओरण के रूप में सार्वजनिक उपयोग हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इस कारण भी सार्वजनिक हितहितार्थ के उपयोग की भूमि के बाबत बिना मौके की रिपोर्ट मंगवाए आदेश पारित किया जाना न्यायोचित्त नहीं था इस संबंध में अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से हम सहमत है।

लिहाजा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है। प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौके की संपूर्ण स्थिति को मंगवाया जाकर दोनों पक्षों को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का पूर्णरूपेण अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.5.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली